न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	घासीराम बनाम नमियारी तहसीलदार हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र धारा आदि मु.नं. 32/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-8-19	पत्रावली पेश हुई। अवकाश घोषित/ ~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-8-19 को पेश हो। Raj	
20-8-19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 29-8-19 को पेश हो।	
29.08.2019	पत्रावली आज निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी है। अप्रार्थी की तामील पूर्व में असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा क़ाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.52 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 25.07.2015 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का चीपलाटा के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गयां है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी ने	

Scanned by CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

घासीराम बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी कराने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 23.6.2019 पर पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 23.7.2018 में यह उल्लेख किया है कि भूमि के आसपास कोई मुस्तकिल निशान नहीं है, जहॉ से जरीब चलाई जा सके, चारों ओर टीले व पहाड़ स्थित है। ऐसी स्थिति में जी.पी.एस. मशीन से ही पत्थरगढ़ी करवाई जा सकती है। पत्थरगढ़ी के अभाव में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के चारों ओर बाउण्ड्री वाल बनाकर उसे विकसित नहीं कर पा रहा है। उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी जी.पी.एसं. मशीन् से करवाये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 किता–1, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान, फर्द मौका रिपोर्ट पत्थरगढ़ी इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही जी.पी. एस. मशीन से करवाया जाना उचित समझता हूँ। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.52 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर की प्रार्थी द्वारा चाही गई पत्थरगढ़ी की कार्यवाही जी.पी.एस. मशीन से करवाये जाने हेतु प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

घासीराम बनाम् भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर
प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी, मु.नं. 32/2019

कार्यवाही जी.पी.एस. मशीन से करवाये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष उपस्थित होकर प्रक्रिया पूर्ण करावें तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देश दिये जाते है कि वे जी.पी.एस. मशीन से पत्थरगढ़ी कार्यवाही कराने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर को अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ भिजवाई जाना सुनिश्चित करें। भू–प्रबन्ध विभाग सीकर द्वारा ली जाने वाली पत्थरगढ़ी की फीस का भुगतान प्रार्थी द्वारा अपने स्तर से किया जावेगा। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned by CamScanner